राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 164/2025

धीरज सिंह परमार पुत्र बसंत सिंह परमार, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी - सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी के पीछे, पुलिस थाना गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, वर्तमान में किरायेदार - चौथा तल, जय कपिश एनक्लेव, प्लॉट नंबर 137, पत्रकार कॉलोनी, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर (राज.)। (वर्तमान में केंद्रीय कारागार, जयपुर में परिरुद्ध)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये पीपी

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राजवीर सिंह गुर्जर

प्रतिवादी की ओर से : श्री एन.एस. धाकड़, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन

आदेश

14/02/2025

(रिपोर्ट योग्य)

1. धारा 483 बीएनएसएस के तहत यह तत्काल जमानत याचिका याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई है, जो पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 के तहत अपराध के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 276/2024 के संबंध में हिरासत में है।

---

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का कथित रूप से जब्त किए गए अवैध पदार्थ की बरामदगी से कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया है।3. वह तर्क देते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता से 24.75 ग्राम वजनी एमडीए बरामद किया गया था, जबकि 11.09.2024 की एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषण के लिए एफएसएल को भेजे गए नमूना पैकेट (चिह्न एक्स) में मेथम्फेटामाइन पाया गया था। वह तर्क देते हैं कि एमडीए की व्यावसायिक मात्रा 10 ग्राम है जबकि मेथम्फेटामाइन के संबंध में, यह 50 ग्राम है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, नमूना पैकेट में मेथम्फेटामाइन पाया गया था और इस प्रकार, कथित तौर पर याचिकाकर्ता से बरामद किया गया वह पदार्थ, जिसका वजन 24.75 ग्राम है, व्यावसायिक मात्रा से कम है। याचिकाकर्ता को 18.03.2024 को गिरफ्तार किया गया है और तब से वह हिरासत में है। मामले के मुकदमे को निष्कर्ष पर पहुंचने में लंबा समय लगेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक जमानत याचिका का विरोध करते हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस थाना श्याम नगर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अन्य मामला (एफआईआर संख्या 146/24) पहले से ही दर्ज है। यह तर्क दिया जाता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता को देखते हुए, जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

5. सुना गया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कथित तौर पर 20.03.2024 को बरामदगी की गई थी। बरामद अवैध पदार्थ को जब्त करने वाले अधिकारी के पिछले अनुभव के आधार पर एमडीए के रूप में देखा और माना गया था और उसके बाद, नमूना (चिह्न एक्स) को 26.04.2024 के पत्र के माध्यम से एफएसएल को भेजा गया था, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट 11.09.2024 को तैयार और जारी की गई थी, यानी इसे प्राप्त होने के लगभग 130 दिन बाद, जिसमें यह राय दी गई थी कि नमूना पैकेट में मेथम्फेटामाइन पाया गया था। यह सुस्थापित कानून है कि जब्त करने वाले अधिकारी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अर्थ में विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन केवल जब्त करने वाले अधिकारी के पिछले अनुभव पर आधारित अवलोकन और राय के आधार पर, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दांव पर लगाया जाता है, जो मेरे सुविचारित राय में, किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा, जब्त करने वाले अधिकारी के तथाकथित पिछले अनुभव के आधार पर अवैध पदार्थ का यह निर्धारण/वर्गीकरण/न केवल एक आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि यह मुकदमे और जांच पर भी प्रभाव डालता है।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) मजिस्ट्रेट को एक आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखने की शक्तियां प्रदान करती है और सीमा 90 दिन और 60 दिन, जैसा भी मामला हो, की है। यह प्रावधान पुलिस को सूचना और उनकी जांच करने की शक्तियों से संबंधित है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए बिना 90 दिन और 60 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में कोई भी आगे की रिमांड कानून के अधिकार के बिना होगी।

8. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए की उप-धारा (4) प्रदान करती है कि:-

"धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्तियों या व्यावसायिक मात्रा वाले अपराधों के संबंध में, जहां वे होते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उप-धारा (2) में 'नब्बे दिनों' के संदर्भ को 'एक सौ अस्सी दिनों' के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।"

9. इस प्रकार, जांच साठ दिनों के भीतर या एक सौ अस्सी दिनों के भीतर पूरी होनी है या नहीं, यह पूरी तरह से एफएसएल रिपोर्ट पर निर्भर करता है। यदि एफएसएल रिपोर्ट जब्त करने वाले अधिकारी के विचार/अनुमान या धारणा की पुष्टि करती है और मामला व्यावसायिक मात्रा की बरामदगी से संबंधित है, तो जांच 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। लेकिन यदि, एफएसएल रिपोर्ट जब्त करने वाले अधिकारी की राय से मेल नहीं खाती है और किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति की रिपोर्ट देती है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं हो सकता है या यदि एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है, लेकिन यदि बरामद मात्रा व्यावसायिक से कम है, तो उस स्थिति में, जांच 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी है और एक सौ अस्सी दिनों में नहीं।

10. मेरे सुविचारित विचार में, एफएसएल रिपोर्ट एक एनडीपीएस मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर पूरी जांच और मुकदमा घूमता है। इस तत्काल मामले में, एफएसएल रिपोर्ट नमूने प्राप्त होने के लगभग 130 दिन बाद जारी की गई थी और विश्लेषण पर, 'मेथम्फेटामाइन' का पता चला था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता से 24.75 ग्राम वजनी

अवैध पदार्थ बरामद किया गया था, जबकि अधिनियम के तहत निर्धारित 'मेथम्फेटामाइन' की व्यावसायिक मात्रा 50 ग्राम है। इस प्रकार, जांच पूरी करने और जांच का परिणाम दाखिल करने की अधिकतम समय अवधि 60 दिन है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए बिना 60 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में कोई भी आगे की रिमांड कानून के अधिकार के बिना होगी। यहाँ इस मामले में, 12.09.2024 को आरोप पत्र दायर किया गया है, जबकि एफआईआर 20.03.2024 को दर्ज की गई थी और उसी दिन याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था।

11. उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय पुलिस महानिदेशक, जयपुर को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना उचित और उचित समझता है कि अब से, एफएसएल रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर अधिमानतः 60 दिनों के भीतर एफएसएल से प्राप्त की जाए और इस उद्देश्य के लिए, संबंधित निदेशकों, एफएसएल के साथ उचित समन्वय किया जाए क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता अनमोल हैं और कानून की मंजूरी के अलावा उनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, पुलिस महानिदेशक एफएसएल से रिपोर्ट की शीघ्र और तेज प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाएंगे और अगली सुनवाई की तारीख पर उठाए गए कदमों के बारे में न्यायालय को सूचित करेंगे।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए; पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि एफएसएल के अनुसार, विश्लेषण पर, नमूने में मेथम्फेटामाइन का पता चला था; बरामद अवैध पदार्थ व्यावसायिक से कम है; याचिकाकर्ता 20.03.2024 से हिरासत में है और मुकदमे को निष्कर्ष पर

पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मैं जमानत याचिका को अनुमति देना उचित समझता हूं।

13. यह जमानत याचिका तदनुसार अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता- धीरज सिंह परमार पुत्र बसंत सिंह परमार को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और प्रत्येक 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि की दो जमानतें विद्वान विचारण कोर्ट की संतुष्टि के लिए इस शर्त के साथ प्रस्तुत करे कि वह उस न्यायालय और किसी भी न्यायालय में, जहां मामला स्थानांतरित किया जाता है, सभी बाद की सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित रहेगा और जब भी उसे ऐसा करने के लिए बुलाया जाएगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता जमानत की अवधि के दौरान किसी भी समान अपराध में शामिल नहीं होगा और वह मुकदमा समाप्त होने तक हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

15. यहाँ ऊपर की गई टिप्पणी केवल तत्काल जमानत याचिका के निर्णय के लिए है और किसी भी तरह से मामले के मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

16. 18.03.2025 को सूचीबद्ध करें। इस आदेश की एक प्रति तत्काल पुलिस महानिदेशक, जयपुर को भेजी जाए ।

(अनिल कुमार उपमन), जे

ललित मोहन /752

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़